बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन,

एन.एस.-बी/2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

अधिसूचना संख्या:- 29. पटना, दिनांक:- 25-9-18

-: अधिसूचना :-

पर्षद् मंडल की 106वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 के कार्यावली संख्या-05 में लिये गये निर्णय के आलोक में पर्षद् के पदाधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्ति निम्न रूपेण पुनरीक्षित की जाती है।

	वर्तमान में नगद भुगतान की वित्तीय शक्ति	पुनरीक्षित नगद भुगतान की शक्ति	वर्तमान में चेक निर्गत करने की शक्ति	पुनरीक्षित चेक निर्गत करने की शक्ति
क्षेत्रीय पदाधिकारी	रू0 500/-	रू0 10,000/-	रू0 25,000/-	रू0 50,000/-
सहायक पर्यावरण अभियंता (मु0)	रू0 500/-	रू0 10,000/-	रू0 25,000/-	रू0 50,000/
उप-विश्लेषक	-	रू0 10,000/-	-	-

इसके अतिरिक्त आकस्मिक व्यय हेतु पर्षद् के सदस्य-सचिव एवं अध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय शक्ति क्रमशः 50,000/- एवं 1,00,000/- रूपये को पुनरीक्षित कर क्रमशः 1,00,000/- एवं 5,00,000/-रूपये किया जाता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सहायक पर्यावरण अभियंता (मुख्यालय) की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर सदस्य-सचिव को एकल हस्ताक्षर से चेक निर्गत करने तथा सदस्य-सचिव के अनुपस्थिति में सहायक पर्यावरण अभियंता (मुख्यालय) को अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर सिर्फ वेतन मद के लिए 50,000/-रू0 से ज्यादा राशि का भी चेक एकल हस्ताक्षर से निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

25/9/18

(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव